राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 367/2018

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13972/2010 में

1. संघ सरकार-गृह मंत्रालय के सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ मुख्यालय सी/ओ 56 एपीओ।
3. कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, 28 इन्फैंट्री डिवीजन, सी/ओ 56 एपीओ।
4. कमांडेंट, 103 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल सी/ओ 56 एपीओ।
5. वेतन और लेखा अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सी/ओ 56 एपीओ।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी भूतपूर्व हेड कांस्टेबल स्व. रामजीलाल, निवासी ग्राम कलमारी की ढाणी, पोस्ट खिरोड, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)

----प्रत्यर्थी

2. मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य–मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, सरकार राजस्थान, जयपुर राजस्थान।

----निष्पादन-प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री बी.एस.छाबा, सहायक सॉलिसिटर जनरल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मानवेंद्र सिंह अधिवक्ता के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री सत्य भान सिंह अधिवक्ता और श्री सुरेन्दर मील अधिवक्ता

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी

निर्णय

रिपोर्टेबल

4/05/2022

मणींद्र मोहन श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

1. यह अपील विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित 26.10.2017 के एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके तहत प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई है।

2. आक्षेपित आदेश द्वारा, एकलपीठ ने प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी को उदारीकृत परिवार पेंशन हितलाभों को प्राप्त करने का हकदार माना है। इसके अलावा, एकलपीठ ने अपीलार्थीगण को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी के बेटे के मामले पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।

3. रिट याचिका दायर करने वाले मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का उल्लेख आदेश में किया गया है, इसलिए, हम इसे नहीं दोहराएंगे, हालांकि, संक्षेप में यह बताना उचित होगा कि प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी के पति को सीमा सुरक्षा बल की 103 बटालियन में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात किया गया था और 'डी' कॉय के तहत फील्ड मलिका में तैनात किया गया था। 26-03-2004 को हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें पल्मोनरी ओडेमा हुआ और परिणामस्वरूप कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और महत्वपूर्ण अंगों में स्थानिक अरक्तता की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1-विधवा को दिनांक 05.08.2004 के पेंशन भुगतान आदेश के तहत पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए पात्र माना गया था। अनुकम्पा नियुक्ति का दावा भी किया गया। असाधारण पेंशन योजना के तहत प्रत्यर्थी नंबर 1-विधवा को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया गया था और इस तथ्य पर विवाद नहीं हुआ है। इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया गया था, लेकिन राज्य प्राधिकारियों द्वारा इससे इनकार कर दिया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा का दावा था कि वह उदारवादी पेंशन हितलाभ स्कीम के तहत पेंशन की हकदार है, जो उसे नहीं दी गई थी और चूंकि उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी गई थी, इसलिए याचिका दायर की गई थी।

4. न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थीगण की प्रतिक्रिया यह थी कि पेंशन की योजना के तहत, प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा के पति का मामला दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय ज्ञापन की श्रेणी 'बी' के तहत था और इसलिए, उसे केवल श्रेणी 'बी' के तहत अपने पति की मृत्यु का इलाज करते हुए पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी। जहां तक अनुकंपा नियुक्ति का संबंध है, अपीलार्थीगण ने कहा कि राज्य द्वारा शुरू की गई अनुकंपा नियुक्ति की योजना का दावा किया जा सकता है और यदि, प्रत्यर्थी संख्या 1- विधवा हकदार है, तो उसे मंजूरी दी जा सकती है। राज्य ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।

5. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सभी कर्मी या कोई अन्य अर्धसैनिक बल के कर्मी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात रहने के दौरान हताहत होते हैं, उनके साथ उनकी विधवा को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें वही लाभ देय होंगे जो सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्यूटी करने के दौरान हताहत होने के दौरान सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए जारी किए गए हैं। उस आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 1-विधवा को उदारीकृत परिवार पेंशन हितलाभ प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। एकलपीठ ने यह भी माना है कि उनके बेटे को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। अन्य परिणामी लाभ भी प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा के पक्ष में जारी किए जाने के लिए मंजूर किए गए हैं।

6. पूर्वोक्त आदेश से व्यथित, यह अपील भारत संघ द्वारा दायर की गई है।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह तर्क रखते हुए स्पष्ट प्रस्तुतियां दीं कि बीएसएफ कर्मी की प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा को पेंशन लाभ प्रदान करना दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शासित है और प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी के पति की मृत्यु के मामले को 'बी' श्रेणी में मृत्यु के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था। उनके अनुसार, ऐसे मामलों में, जहां मृत्यु को श्रेणी 'बी' या श्रेणी 'सी' में वर्गीकृत किया गया है, परिवार पेंशन अतिरिक्त परिवार पेंशन योजना के तहत देय है और उदारीकृत पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल उन मामलों में उपलब्ध है जहां मृत्यु को श्रेणी 'डी' या श्रेणी 'ई' में वर्गीकृत किया गया है। उनका तर्क होगा कि एकलपीठ ने योजना से परे उदारीकृत पेंशन योजना के भुगतान का निर्देश देने का आदेश पारित किया है, जिसमें बीएसएफ कर्मियों के मामलों को सेना के कर्मियों के लिए लागू होने वाले

मामलों के समान मानने का निर्देश दिया गया है, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिकारियों की दो श्रेणियां अलग-अलग नियमों और विनियमों के साथ-साथ योजनाओं द्वारा शासित होती हैं। न्यायिक आदेश के संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय द्वारा समान लाभ देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, जो मृतक सैन्य कर्मियों की विधवा को दिए जाते हैं क्योंकि उन मामलों में लागू नियम पूरी तरह से अलग हैं। आगे यह कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश किसी भी वैधानिक नियम के तहत या किसी परिपत्र के तहत लागू अनुकंपा नियुक्ति योजना के प्रावधान के विपरीत है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी की शिकायत राज्य सरकार द्वारा अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके दावे को अस्वीकार करने के खिलाफ थी और यदि कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो राज्य सरकार को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थीगण के वकील ने **श्रीमती राधिका देवी बनाम भारत संघ और अन्य (2019 की सिविल अपील संख्या 7525-7526)** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जो 23.09.2019 को तय किया गया था और **कंचन दुआ बनाम भारत संघ और अन्य, (2010 का सिविल अपील संख्या 7459-7460)** 23.09.2019 को तय किया गया था।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उदारीकृत पेंशन हितलाभ स्कीम के तहत पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश देने वाले एकलपीठ का आदेश अच्छी तरह से तर्कसंगत है और बीएसएफ कर्मियों और सेना कर्मियों के बीच समानता लाने के बाद है। आगे यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकलपीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि जिन परिस्थितियों में रिट अपीलार्थी का मृत पति सीमाओं पर काम कर रहा था, वे सेना कर्मियों द्वारा समान कठिन परिस्थितियों में कर्तव्यों के समान थे और इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उदारीकृत पेंशन पुरस्कार योजना के लाभों का विस्तार करके मृत बीएसएफ कर्मियों की विधवा को समान लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। आगे यह भी कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे को इस आधार पर अस्वीकार करना कि यदि विधवा पात्र है, तो पुत्र के वयस्क होने तक अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार आरक्षित नहीं किया जा सकता है, यह भी मनमाना है और अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से वंचित करने की मांग करता है और अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की

भावना और उद्देश्य के खिलाफ है। अपनी दलीलों के समर्थन में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने **श्रीमती मंजू तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य, (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5262/2003)** दिनांक 04.03.2005 को निर्णित, **मेजर अरविंद कुमार सुहाग बनाम भारत संघ एवं अन्य, (डब्ल्यूपी (सी) 4488/2012)** दिनांक 21.02.2013 को निर्णित, **जे.पी. भारद्वाज बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 348/2012)** दिनांक 29.05.2013 को निर्णित और **राम देवी बनाम महानिदेशक, बीएसएफ एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 3527/2013)** दिनांक 27.05.2015 को निर्णित के मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

9. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड के साथ-साथ एकलपीठ द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया है।

10. मृत्यु की तारीख, समय के संबंध में तथ्यात्मक विवरण और यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए और ड्यूटी पर प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी के पति की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, मृत्यु का कारण और चिकित्सा राय कि मृत्यु हाइपोथर्मिया के कारण हुई थी क्योंकि उन्हें पल्मोनरी ओडेमा हुआ और परिणामस्वरूप कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और महत्वपूर्ण अंगों में स्थानिक अरक्तता की स्थिति पैदा हो गई, भी विवादित नहीं है।

11. विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह पेंशन लाभों की प्रकृति के बारे में है जिसके लिए प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा हकदार होगी।

12. एकलपीठ ने कहा है कि अनुबंध-क/6 में निर्धारित युद्ध हताहतों के मामलों में पेंशन लाभ से संबंधित प्रावधान, जिस पर प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया था, लागू नहीं होगा क्योंकि यह सशस्त्र बलों के कर्मियों के संबंध में लागू होता है, जैसा कि आक्षेपित आदेश के पैरा-13 में दर्ज किया गया है, जिसके साथ यह आशय स्पष्ट किया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी का मृत पति सशस्त्र बलों में नहीं था और सेना अधिनियम द्वारा शासित नहीं था, बल्कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित था, इस प्रकार, अनुबंध-क/6 (हताहतों को युद्ध या शारीरिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए परिस्थितियों को बताने वाला एक परिपत्र) को लागू नहीं माना गया है।

13. हालांकि, एकलपीठ ने बीएसएफ कार्मिकों और सेना के कार्मिकों के बीच समानता तय की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीएसएफ कार्मिकों की तैनाती सीमावर्ती क्षेत्रों में होती है और इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीएसएफ के कार्मिकों के कर्तव्यों का क्षेत्र सशस्त्र बलों के कार्मिकों के समान है और तैनाती की प्रकृति और सीमा पर कर्तव्य का निर्वहन की उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में दोनों के बीच अंतर की केवल एक महीन रेखा है। इस तरह की समानता पर, एकलपीठ ने आक्षेपित आदेश के पैरा-20 में एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि सभी बीएसएफ कर्मियों या किसी अन्य अर्धसैनिक बल के कर्मी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात रहने के दौरान हताहत होते हैं, उनके साथ उनकी विधवा को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें समान लाभ देय होंगे जैसा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए जारी किए गए हैं। यह भी माना गया है कि एक बार जब अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि मृत्यु हुई है, तो विधवा को लाभ जारी करने के उद्देश्य से मृत्यु के विभिन्न मामलों से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा किया गया अंतर पूरी तरह से अनुचित और असंवैधानिक है और इसलिए, कानून में अनुचित है।

14. प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा को उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ देने के लिए विद्वान एकलपीठ द्वारा अपनाया गया तर्क का आधार, बीएसएफ कर्मी की मृत्यु के मामले में पेंशन देने के लिए लागू योजना के विपरीत और खिलाफ है।

15. पुनरावृत्ति के तौर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकलपीठ ने स्वयं आक्षेपित आदेश के पैरा-13 में कहा था कि बीएसएफ कर्मी अधिनियम और नियमों के विभिन्न सेट द्वारा शासित होते हैं और इसलिए, अनुबंध-क/6 जो सेना के कार्मिकों के संबंध में प्रतीत होता है, लागू नहीं होगा।

16. अपीलार्थीगण ने दिनांक 03022000 के एक कार्यालय ज्ञापन (रिट याचिका के उत्तर के साथ संलग्नक-आर/3) के परिपत्र को रिकॉर्ड पर रखा है, जो पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की विकलांगता पेंशन/पारिवारिक पेंशन-सिफारिशों के सेवा-भुगतान में मृत्यु और विकलांगता के मामलों में विशेष लाभों को नियंत्रित करता है। अपीलार्थीगण द्वारा की गई विशिष्ट टिप्पणी कि पेंशन प्रदान करने के मामले में, उनके तर्क स्पष्ट हैं और दिनांक

03.02.2000 (अनुबंध-आर/3) के कार्यालय ज्ञापन द्वारा इसे विनियमित किया गया है, प्रत्युत्तर दाखिल करके सही साबित नही किए जा सकते हैं।

17. दिनांक 03.02.2000 के उक्त कार्यालय ज्ञापन का खंड-III निम्नानुसार है:-

> **"विकलांगता पेंशन– श्रेणी ख और ग के तहत कवर किए गए मामलों के लिए**
>
> (1) सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत स्वीकार्य सामान्य पेंशन और ग्रेच्युटी और 100% विकलांगता के लिए मूल वेतन के 30% के बराबर विकलांगता पेंशन।
>
> (2) विकलांगता के कम प्रतिशत के लिए, मासिक विकलांगता पेंशन वर्तमान की तरह आनुपातिक रूप से कम होगी, बशर्ते कि जहां स्थायी विकलांगता 60% से कम नहीं है, कुल पेंशन (यानी, सामान्य पेंशन नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या सेवा ग्रेच्युटी और विकलांगता पेंशन जैसा कि ऊपर (1) में दर्शाया गया है) न्यूनतम रु.2,500/- के अध्यधीन मूल वेतन के 60% से कम नहीं होगी।

18. इस प्रकार, श्रेणी क के अंतर्गत आने वाले मृत्यु के मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के सामान्य मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत आते रहेंगे। जहां तक मृत्यु के मामले, जो विभिन्न अन्य श्रेणियों जैसे ख, ग, घ और ड. के अंतर्गत आते हैं, उस परिपत्र में पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन की योजना को और विस्तृत किया गया है।

19. I के तहत, श्रेणी 'ख' और 'ग' के लिए पारिवारिक पेंशन निर्धारित की गई है, जबकि II के तहत, श्रेणी 'घ' और 'ड.' के लिए पारिवारिक पेंशन बताई गई है। नीचे दिए गए संदर्भ के लिए दो स्कीमें भी निकाली गई हैं:-

> **"I परिवार पेंशन - श्रेणी 'ख' और 'ग' के लिए**
>
> (1) असाधारण पारिवारिक पेंशन की मात्रा के निर्धारण के लिए बिना बच्चों वाली विधवाओं या बच्चों वाली विधवाओं के बीच अंतर को समाप्त कर दिया जाएगा। विधवाओं की सभी श्रेणियों के लिए मासिक अतिरिक्त-साधारण पारिवारिक पेंशन की मात्रा होगी:–
>
> (क) जहां मृतक शासकीय सेवक पेंशन योग्य पद धारण नहीं कर रहा था:
>
> न्यूनतम रु. 1,650/- के अध्यधीन मूल वेतन का 40%
>
> (ख) जहां मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन योग्य पद धारण कर रहा था:
>
> न्यूनतम रु. 2,500/- के अध्यधीन मूल वेतन का 60%
>
> (2) यदि विधवा की मृत्यु हो जाती है या उसका पुनर्विवाह हो जाता है,

तो बच्चों को उपरोक्त (क) या (ख) में उल्लिखित दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि लागू हो, और यही दर अनाथ/ मातृहीन बच्चों पर भी लागू होगी। दोनों मामलों में, बच्चों को उस अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिसके दौरान वे सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। आश्रित माता-पिता/भाइयों/बहनों आदि को विधवा/अनाथ या मातृहीन बच्चों पर लागू दर का आधा पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

II परिवार पेंशन - श्रेणी 'घ' और 'ड.' के लिए

(1) श्रेणी घ और ड. के अंतर्गत आने वाले मामलों में पारिवारिक पेंशन का निर्धारण उदारीकृत पेंशन पुरस्कार योजना के मौजूदा प्रावधान के तहत किया जाएगा।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी के परिवार में विधवा नहीं है लेकिन उसके परिवार में केवल बच्चा/बच्चे हैं, तो सभी बच्चे मूल वेतन के 60% की दर से पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे जो न्यूनतम रु. 2,500/- के अध्यधीन होगा। बाल भत्ता, जो अभी स्वीकार्य है, समाप्त कर दिया जाएगा।

(3) जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अविवाहित या बच्चों के बिना विधुर के रूप में होती है, तो आश्रित पेंशन माता-पिता को आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ के बिना स्वीकार्य होगी, यदि माता-पिता दोनों जीवित हैं तो अंतिम रूप से प्राप्त वेतन के 75% की दर से और यदि उनमें से केवल जीवित है, तो 60% की दर से।

20. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्रेणी 'ख' और 'ग' द्वारा कवर किए गए मामलों में, मृत कार्मिकों की विधवाएं मासिक अतिरिक्त-साधारण पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं।

21. यह केवल श्रेणी 'घ' और 'ड.' के अंतर्गत आने वाले मामलों में है कि यह योजना उदारीकृत पेंशन हितलाभ योजना के तहत पेंशन प्रदान करने की अनुमति देती है।

22. यद्यपि, किसी भी पक्ष ने उदारीकृत पेंशन हितलाभ प्रदान करने के दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए उदारीकृत पेंशन हितलाभ योजना के साथ अपनी दलीलें दायर नहीं की हैं, तथापि यह स्थापित करना होगा कि मृत कार्मिकों की मृत्यु या तो श्रेणी 'घ' या श्रेणी'ड.' के अंतर्गत आती है।

23. दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक-आर/3) के तहत मामलों को मृत्यु या विकलांगता के लिए देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए मोटे तौर पर पांच अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:-

"श्रेणी 'क' प्राकृतिक कारणों से मृत्यु या विकलांगता सरकारी सेवा के कारण नहीं है। उदाहरणों में दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय और गुर्दे की बीमारियां, लंबी बीमारी, ड्यूटी पर नहीं रहते हुए दुर्घटनाएं आदि होंगी।

श्रेणी 'ख' उन कारणों से मृत्यु या विकलांगता जिन्हें सरकारी सेवा द्वारा जिम्मेदार या उससे और खराब हुए के रूप में स्वीकार किया जाता है। अति विषम कार्य वातावरण के निरंतर संपर्क के कारण अनुबंधित रोग, चरम मौसम की स्थिति या व्यावसायिक खतरों के अधीन जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता होती है, इसके उदाहरण होंगे।

श्रेणी 'ग' कर्तव्यों के पालन में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या विकलांगता। कुछ उदाहरण सरकारी वाहनों या सार्वजनिक परिवहन में ड्यूटी पर यात्रा करते समय दुर्घटनाएं, सेवा विमान द्वारा ड्यूटी पर यात्रा, समुद्र में दुर्घटनाएं, ड्यूटी पर बिजली का करंट लगना आदि हैं।

श्रेणी 'घ' आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण मृत्यु या विकलांगता चाहे उनके कर्तव्यों के अनुपालन में हो या अन्यथा। आंदोलन, दंगों या प्रदर्शनकारियों द्वारा विद्रोह को रोकने में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए नियोजित केंद्रीय पुलिस संगठनों के कर्मियों की मृत्यु या चोट के मामलों के अलावा, पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोक सेवकों, सार्वजनिक स्थानों या परिवहन में बम विस्फोट, सार्वजनिक रूप से अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाएं आदि इस श्रेणी के तहत कवर की जाएंगी।

श्रेणी 'ड.' (ए) चरमपंथियों, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान या उसके दौरान हमले के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली मृत्यु या विकलांगता। (ख) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर झड़पों और युद्ध जैसी स्थितियों में दुश्मन की कार्रवाई, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जो (i) किसी परिचालन क्षेत्र के रास्ते में अतिवादी कृत्यों, विस्फोट करने वाली खानों आदि के कारण होते हैं: (ii) चरमपंथियों द्वारा अपहरण; और (iii) जीवित गोला-बारूद के साथ प्रशिक्षण अभ्यास के हिस्से के रूप में युद्ध संचारण।

24. अपीलार्थीगण के अनुसार, वर्तमान मामले में बीएसएफ कर्मियों की मृत्यु के मामले को श्रेणी 'ख' के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, प्रत्यर्थी सं. 1- विधवा के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि यह श्रेणी 'ड.' के तहत आता है। तथापि, श्रेणी '' में श्रेणीकरण के प्रयोजनार्थ कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने और बारीकी से जांच-पड़ताल करने पर इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

25. स्वीकार्यत: मौजूदा मामले में बीएसएफ कर्मी की मृत्यु तब हुई थी जब वह सीमाओं पर ड्यूटी पर था। इसलिए, इसे उन कारणों से मृत्यु या विकलांगता के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें सरकारी सेवा द्वारा जिम्मेदार या बढ़ा हुआ माना जाता है क्योंकि बीएसएफ कार्मिक चरम मौसम की स्थिति और अन्य व्यावसायिक खतरों के

संपर्क में आते हैं। हालांकि यह कहने के लिए कि यह श्रेणी 'ड.' द्वारा कवर किया गया मामला होगा, श्रेणी 'ड.' में व्यापक रूप से उल्लिखित स्थितियों में से किसी एक को तैयार करना होगा। इस उद्देश्य के लिए, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

26. **श्रीमती मंजू तिवारी (सुप्रा.)** का मामला, तथ्यों पर, एक सेना के जवान का मामला था, जिसे कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया था। उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के दावे जैसा कि सेना कार्मिकों के मामले में लागू होता है, न्यायालय द्वारा उसमें निहित विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में जांच की गई थी। यह मानते हुए कि मृतक की इकाई को "ऑपरेशन विजय" में तैनात किया गया था और इस प्रकार, यह एक निर्विवाद स्थिति है कि मृत्यु युद्ध जैसी स्थिति में ऑपरेशन में भाग लेने के कारण हुई थी, जिससे यह उस मामले में लागू श्रेणी 'ड.' के भीतर आ गया।

27. **मेजर अरविंद कुमार सुहाग (सुप्रा.)** का मामला एक ऐसा मामला था जहां कारगिल में "ऑपरेशन विजय" के संचालन के दौरान शहीद सैन्यकर्मी की मृत्यु हो गई क्योंकि उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठा था वह यह था कि क्या उनके मामले को सैन्य कर्मियों पर लागू योजना की श्रेणी 'ड.' के तहत वर्गीकृत किया जाना है। तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि मौत तब हुई जब वह एक ऑपरेशन में तैनात थे। उस आधार पर, उस मामले में लागू योजना के संदर्भ में युद्ध चोट पेंशन प्रदान करने के दावे की अनुमति दी गई थी।

28. **जे.पी. भारद्वाज (सुप्रा.)** के एक अन्य मामले में भी वह एक सैन्यकर्मी से संबंधित मामला था। उस मामले में भी, तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि वाहन की दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई थी जबकि ऑपरेशन रक्षक-III प्रगति पर था।

29. **मेजर अरविंद कुमार सुहाग (सुप्रा.) और श्रीमती मंजू तिवारी (सुप्रा.)** के मामलों में निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह माना गया था कि मामले को 31.01.2001 के परिपत्र के पैरा 4.1 में श्रेणी 'ड.' के खंड (झ) के तहत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था, जो सैन्य कर्मियों के मामले में लागू था।

30. इस प्रकार, उपरोक्त सभी निर्णय तथ्यों पर पूरी तरह से अलग हैं। एक अधिसूचित ऑपरेशन में युद्ध जैसी स्थिति या मृत्यु की व्याख्या को युद्ध की चोट के रूप में वर्गीकृत

करने का आधार बनाया गया था।

31. वर्तमान मामले में, न केवल पेंशन की योजना अलग है, बल्कि विभिन्न श्रेणियां बिल्कुल समान नहीं हैं, हालांकि, कई पहलुओं पर समानता है। इसके अलावा, तथ्यात्मक पहलुओं पर भी, वर्तमान मामले और **श्रीमती मंजू तिवारी (सुप्रा.), मेजर अरविंद कुमार सुहाग (सुप्रा.) और जेपी भारद्वाज (सुप्रा.)** के मामलों में, जिन पर विचार किया गया था, पूरी तरह से अलग हैं।

32. इस संबंध में निर्भरता सीमा सुरक्षा बल में एक कांस्टेबल की विधवा **राम देवी (सुप्रा.)** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर रखी गई है। यह एक ऐसा मामला था जहां ड्यूटी से लौटने के बाद, बीएसएफ कांस्टेबल बेहोश पाया गया था और बाद में, उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत 'कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट' के परिणामस्वरूप बहु-अंग रोगों और विशेष रूप से लिवर सिरोसिस के कारण हुई थी। अनुग्रह मुआवजे के लिए दावा इस आधार पर किया गया था कि बीएसएफ कर्मी की सक्रिय ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए, वह 02 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुग्रह मुआवजे का हकदार होगा। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि उस मामले में, दावे पर दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर विचार किया गया था, जबकि इस मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1-रिट अपीलार्थी के पति की मृत्यु 2008 के परिपत्र के लागू होने से बहुत पहले हुई थी। अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजा देने के संबंध में दिनांक 02-09-2008 के कार्यालय ज्ञापन की योजना और दिनांक 11-09-1998 के पूर्व कार्यालय ज्ञापन की जांच करते हुए यह माना गया था कि वास्तविक ड्यूटी करने के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने से बल कार्मिक की मृत्यु कर्तव्यों के पालन के दौरान दुर्घटनावश हुई मृत्यु का मामला होगा।

33. उस निर्णय के पैरा-20 में की गई इस विशेष टिप्पणी पर प्रत्यार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है कि वर्तमान को आकस्मिक मृत्यु का मामला माना जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में भी, बीएसएफ कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। यदि हम इस निवेदन को स्वीकार भी कर लेते हैं, तो भी इससे 03-02-2000 के कार्यालय ज्ञापन की श्रेणी 'ग' के अंतर्गत वर्गीकरण हो जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में यह न तो श्रेणी 'घ' के अंतर्गत आएगा और न ही श्रेणी 'ड.' के अंतर्गत, जैसा

कि अपीलार्थीगण ने दावा किया है। यह योजना, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, श्रेणी 'ख' और 'ग' के लिए समान पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है। उदारीकृत पेंशन हितलाभ योजना के अनुदान के दावे में सफल होने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि मामला श्रेणी 'घ' या 'ड.' द्वारा कवर किया गया है।

34. उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारा दृढ़ मत है कि लागू योजना के तहत, बीएसएफ कामकों की मृत्यु के मामले को श्रेणी ख के तहत उचित रूप से वर्गीकृत किया गया था और श्रेणी 'ड.' के तहत वर्गीकरण के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए, उदारीकृत पेंशन हितलाभ योजना का लाभ प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा को नहीं दिया जा सकता था।

35. हमने संबंधित पक्षों द्वारा की गई दलीलों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है और संतुष्ट हैं कि जहां तक श्रेणी 'ख' द्वारा कवर किए गए मामलों में देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ वास्तव में प्रत्यर्थी सं. 1- मृतक की विधवा को दिया गया है और यह प्रत्यर्थी सं. 1- विधवा का मामला नहीं है कि उसे श्रेणी 'ख' और 'ग' के लिए पारिवारिक पेंशन का लाभ भी नहीं दिया गया है।

36. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती राधिका देवी (सुप्रा.)** और **कंचन दुआ (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है। **कंचन दुआ (सुप्रा.)** के मामले में, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन योजना के लाभों के हकदार पर विचार किया गया था। उस मामले में, तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि उदारीकृत पेंशन हितलाभ योजना के तहत पेंशन जारी करने के दावे में सफल होने के लिए, दिनांक 24-02-1972 के पत्र के पैरा-1 के अनुसार केवल उग्रवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियानों में शामिल सैनिकों को लाभ दिया जा सकता है। यह भी एक सैन्य कर्मी का मामला था। वे निर्णय, जिन पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है; में **श्रीमती मंजू तिवारी (सुप्रा.), मेजर अरविंद कुमार सुहाग (सुप्रा.) और जे.पी. भारद्वाज (सुप्रा.)** का भी उल्लेख किया गया था और यह देखा गया था कि यद्यपि उन निर्णयों में उच्च न्यायालयों द्वारा उदारीकृत पारिवारिक पेंशन की राहत प्रदान की गई थी, उच्च न्यायालयों ने दिनांक 24.02.1972 के पत्र और दिनांक 07.05.1990 की अधिसूचना की जांच नहीं की है।

37. जो भी हो, सैन्य कार्मिकों के संबंध में उनके स्वयं के नियमों और विनियमों और उदारीकृत पेंशन पुरस्कारों की योजनाओं के संदर्भ में निपटाए गए मामलों को बीएसएफ कार्मिकों के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है और बीएसएफ कार्मिकों की मृत्यु के मामले में, दिनांक 03-02-2000 का कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध-आर/3) लागू होगा और श्रेणीकरण का दावा केवल उक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है और इससे अधिक नहीं। जब तक मृत्यु को श्रेणी 'घ' या 'ड.' के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तब तक उदारीकृत पेंशन हितलाभ योजना के लिए दावा कायम नहीं रखा जा सकता है।

38. जहां तक अनुकंपा नियुक्ति पहलू का संबंध है, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा का दावा था कि उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। उक्त दावे पर विचार किया गया था, लेकिन राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 18-09-2007 के पत्र के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया गया था (अनुपत्र-5)। प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा को जारी किए गए उक्त पत्र में 09.03.2005 के सरकारी परिपत्र और राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2002 का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि एक बार आश्रित अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है, तो अनुकंपा नियुक्ति के उसके अधिकार को पात्रता प्राप्त होने पर अन्य व्यक्ति/पुत्र को रोजगार प्रदान करने के लिए आरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इस पत्र के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे ऐसे अधिकार को केवल तभी आरक्षित किया जा सकता है जब विधवा/बच्चे उस दिन तत्काल रोजगार लेने की स्थिति में न हों। उस आधार पर, प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई थी। अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्देश जारी करने से पहले विद्वान एकलपीठ द्वारा इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। यह अच्छी तरह से तय है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल अनुकंपा नियुक्ति की योजना के अनुसार दी जा सकती है, इसके लिए अनुकंपा नियुक्ति की योजना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय के समक्ष भी, प्रत्यर्थी संख्या 1-विधवा अदालत के समक्ष प्रासंगिक नियमों और विनियमों के साथ-साथ परिपत्रों को प्रस्तुत करके यह प्रदर्शित करने में विफल रही कि भले ही, मृतक की विधवा अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो, उसके पास अपने बेटे के वयस्क होने तक अनुकंपा नियुक्ति के अपने अधिकार को आरक्षित रखने का विकल्प है। इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव

में, प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा को कोई राहत नहीं दी जा सकती है जैसा कि उसने दावा किया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा वर्ष 2007 में किया गया था। इसलिए, आज की तारीख में, ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है जैसा कि प्रत्यर्थी सं. 1-विधवा द्वारा दावा किया गया है।

39. हालांकि, इस न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रत्यर्थी-राज्य ने दिनांक 18.09.2007 (अनुबंध-5) के पत्र के माध्यम से विधवा को अपने लिए रोजगार लेने की पेशकश की थी क्योंकि वह पात्र थी।

40. उपरोक्त विचार और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं। इसलिए आदेश को रद्द किया जाता है और रिट याचिका खारिज की जाती है।

41. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।

(विनोद कुमार भरवानी), न्यायमूर्ति (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

Sanjay Kumawat-57

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।